

Jt. Reg (A)
6/1/2020

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक -प.1(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 24/12/2019

-:अधिसूचना:-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम संख्या -1) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की सम्संख्यक अधिसूचना दिनांक 14.12.2017 की क्रम संख्या 2 के द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, तिजारा को किराया अधिकरण के रूप में गठित कर भिवाड़ी क्षेत्र के प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार प्रदान किया था, को प्रत्याहरित करते हुए, कॉलम संख्या 2 में वर्णित न्यायालय को उसके सामने कॉलम संख्या 3 में वर्णित किराया अधिकरण के रूप में गठित कर सुनवाई का अधिकार प्रदान करती है, जिसका क्षेत्राधिकार सारणी के कॉलम संख्या 4 में वर्णित अनुसार होगा:-

क्र.सं.	वर्तमान न्यायालय का नाम	किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
01.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी जिला अलवर	किराया अधिकरण, भिवाड़ी जिला अलवर	नगरपालिका क्षेत्र भिवाड़ी

राज्यपाल के आदेश से

24.12.19

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

क्रमांक:- सामान्य/11/13/03/22

दिनांक- 04/01/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर
2. जिला न्यायाधीश, अलवर
3. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा / भिवाड़ी
4. प्र.अ.न्या. गोपनीय/अधीनस्थ न्या. स्था.शाखा / आर.न्या.से. स्था.शाखा / सांख्यिकी / बजट / भवट
5. प्र.अ.न्या. कम्प्युटर सेल को उक्त अधिसूचना रा.उ.न्या. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

04-1-2020
रजिस्ट्रार (नियम)